प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.02.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लूट/स्नैचिंग की घटना करित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस ,01 स्कूटी, लूट के 02 मोबाइल फोन व लूट की घटना से संबंधित 700 रूपये बरामद।

दिनांक 08/09.02.2025 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था तभी सेक्टर तीन राजेन्द्र नगर जीडीए मार्केट में वजीराबाद रोड की तरफ से आने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी, तभी स्कूटी सवार दो व्यक्ति डीएवी कट वजीराबाद रोड की तरफ से आते दिखाई दिये जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके और अपनी स्कूटी को पीछे मोड़कर तेजी से वजीराबाद रोड की तरफ भागने लगे शक होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस टीम को अपने पीछे आते देख भाग रहे बदमाशों के द्वारा स्कूटी को तेजी से भगाने के कारण स्कूटी वजीराबाद रोड कट से पहले मिट्टी होने के कारण फिसल कर गिर गई पुलिस पार्टी को अपने पीछे आते देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से सीधा फायर कर दिया पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे बदमाशों में से एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके से भाग गया जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को पीछे भेजा गया। घायल बदमाश का नाम प्रिंस मावी उर्फ यश पुत्र ओमपाल निवासी मकान नंबर 1 मोक्ष धाम मंदिर के पास बंथला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को वास्ते उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है, तथा भागे हुए बदमाश को कुछ देर बाद पकड़ने गई पुलिस टीम घटनास्थल पर लेकर आई जिससे पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम ऋषभ चौधरी पुत्र अनिल चौधरी निवासी मकान नंबर बी 212 गुलमोहर ग्रीन मोहन नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद बताया गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. प्रिंस मावी उर्फ यश मावी पुत्र ओमपाल निवासी मकान नंबर 1 मोक्ष धाम मंदिर के पास बंथला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22वर्ष।
2. ऋषभ चौधरी पुत्र अनिल चौधरी निवासी मकान नंबर बी 212 गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी मोहन नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस ,01 स्कूटी, लूट के 02 मोबाइल फोन व लूट की घटना से संबंधित 700/- रूपये बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का शातिर 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से करीब 13 लाख रूपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब आयशर कैन्टर ट्रक सहित बरामद

दिनांकः 09.02.2025 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा हरियाणा की अवैध अग्रेंजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को अवैध शराब से भरी आयशर कैन्टर ट्रक सहित थाना वेवसिटी गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। आयशर कैन्टर ट्रक में हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही कुल 150 पेटी रॉयल ग्रीन मार्का अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुई । बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग करीब 13 लाख रूपये है ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त नागेन्द्र ने बताया कि वह 5वीं तक पढा है, पढाई छोडने के बाद वर्ष 2003 मे दिल्ली आ गया, यहाँ उसने ट्रक चलाना सीखा और तनेजा ट्रान्सपोर्ट हापुड चुंगी गाजियाबाद में ड्राईविंग का काम करने लगा। वर्ष 2015 में वह गुरूग्राम चला गया तथा श्रीनगर कश्मीर के रूट पर ट्रक ड्राईवरी करने लगा। वर्ष 2017 मे काम छोडकर अपने गाँव बिहार वापस चला गया। वर्ष 2021 में गुरूग्राम हरियाणा में वापस आया और ड्राईविंग करने लगा करीब 06 माह पहले उसका सम्पर्क वीरू नामक ड्राईवर जो हरियाणा का रहने वाला है से हुई। वीरू ने नागेन्द्र को विक्की के बारे बताया जो पंजाब, चंडीगढ व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब तस्करी करके बिहार व गुजरात मे सप्लाई करता था, जिसमें उसको काफी फायदा होता था विक्की को एक ऐसे विश्वसनीय ड्राईवर की आवश्यकता थी जो उसकी शराब की तस्करी की गाडियों को बिहार तक सकुशल पहुँचा सके। नागेन्द्र बिहार का रहने वाला था इसीलिए शराब तस्करी के काम मे ज्यादा आमदनी होने के कारण नागेन्द्र लालचवश विक्की के साथ अवैध शराब तस्करी का काम करने लगा तथा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करके बिहार पहुँचाने लगा। बिहार राज्य मे शराब तस्करी करने के प्रत्येक चक्कर के नागेन्द्र को 15,000 रू0 मिलते थे। नागेन्द्र ने बताया कि अवैध शराब से भरी गाडी / कैन्टर विक्की हरियाणा में सोनीपत के आस-पास किसी निश्चित स्थान पर लाकर नागेन्द्र को देता है उसके बाद नागेन्द्र उस शराब से भरी गाडी / कैन्टर को विक्की के बताये अनुसार बिहार मे सप्लाई हेतु लेकर जाता है। पूछताछ पर यह भी बताया कि विक्की ही बिहार की पार्टियों को जानता है। विक्की ने आयसर कैन्टर में शराब तस्करी करने के लिए एक स्कीम बनवा रखी है जिसके अन्दर शराब भरकर उसे बन्द कर देते है जिसको बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ट्रक खाली है। शराब से लदी गाडी को तस्करी के लिए लेकर चलने से पहले ये लोग अपने-अपने मोबाइल बन्द कर लेते है तथा कभी-कभी विक्की भी छोटी गाडी से कैन्टर ट्रक के थोडा आगे या पीछे रहकर बिहार तक जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त नागेन्द्र अवैध शराब तस्करी करने से मिले रूपयों से अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरे करता है।

अभियुक्त से पूछताछ पर अवैध शराब के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से अवैध शराब की तस्करी व उससे होने वाली राजस्व की हानि पर निश्चित रूप से रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

नागेन्द्र पुत्र अशरफी राय निवासी ग्राम पाचनौर थाना बेलसंड जिला सीतामढी बिहार उम्र करीब वर्ष 49

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.हरियाणा की अवैध अंग्रेजी शराब - 150 पेटी रायल ग्रीन ब्राण्ड

2.आयशर कैन्टर ट्रक (अवैध शराब सप्लाई करने मे प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नागेन्द्र के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 09-02-2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी प्रिंस पुत्र मुकेश निवासी ग्राम फफराना थाना मोदीनगर गाजियाबाद को देव इन्कलेव की तरफ फफराना रोड कस्बा मोदीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 01-10-2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर कियागया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रिंस पुत्र मुकेश निवासी ग्राम फफराना थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त थाना मोदीनगर से जिला बदर चल रहा था जिसके विरूद्ध थाना मोदीनगर पर मारपीट,आबकारी, आयुध अधिनियम व लूट करने के संबंध में 04 अभियोग, थाना निवाडी पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 ऑटो बरामद।

आज दिनांक 09.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. शाहिद पुत्र युसुफ निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 2. शाहरूख पुत्र फिदा हुसैन निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 ऑटो बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत उक्त चोरी के अभियोगों में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों मौका पाकर वाहन चोरी की घटना कारित करते हैं तथा कई बार जेल भी जा चुके हैं। हम वाहनों की चोरी करके उनको बेच देते हैं तथा उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे अपने शौक पूरे करते हैं। हमने इस ऑटो को नवम्बर के महीने मे पुस्ता तिराहे से चोरी किया था जिसका कोई खरीददार न मिलने के कारण हमने इसे फैक्ट्री एरिया के सुनसान स्थान पर छुपा दिया था तथा हमने यह मोटरसाइकिल दिनांक 07/02/2025 को सीआरएस स्कूल के सामने से चोरी की थी जिसे आज हम बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. शाहिद पुत्र युसुफ निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

2. शाहरूख पुत्र फिदा हुसैन निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शाहिद पुत्र युसुफ के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी / एनडीपीएस एक्ट/आर्म्स एक्ट के कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त शाहरूख पुत्र फिदा हुसैन पर चोरी/बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 ऑटो बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा केन्द्रीय अर्धसैनिक बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) नाम का इस्तेमाल करके अपना स्वयं का एक संगठन एंटी क्राइम ओर्गेनाइजेशन वसुन्धरा संरक्षण फांउडेशन बीएसएफ संगठन बनाकर व्यक्तियों को इसमें आर्थिक लाभ लेने की नियत से व्यक्तियों को साथ मे जोड़कर उन्हे पुलिस के पहचान पत्र व वर्दी देकर धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एन्टी क्राईम आर्गेनाईजेशन के कार्ड भिन्न भिन्न व्यक्तियो के नाम से बनवाये हुये पहचान पत्र जिस पर पुलिस की वर्दी व होम मिनिस्टरी गवर्मेन्ट आफ इण्डिया अंकित है, 01 लैटर हेड एन्टी क्राईम आर्गेनाईजेशन (BSF) ऑल इन्डिया जिस पर फरहाना वारसी (रेड ऑफिसर ऑल इण्डिया अंकित है) व संगठन से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र बरामद।

सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो जिसमे एक व्यक्ति स्वय को रजिस्टर्ड संस्था एंटी क्राइम ओर्गेनाइजेशन वसुन्धरा संरक्षण फांउडेशन बीएसएफ नागलोई दिल्ली द्वारा अपने उक्त संगठन का मुख्य रजिस्टर्ड कार्यालय विजयवाडा आंध्र प्रदेश तथा कार्यकारी कार्यालय मीरबिहार मुबाकरपुर दिल्ली में स्थापित होना प्रचारित किया जा रहा है व उनके द्वारा पुलिस कलर व पुलिस युनीफार्म व पुलिस जैसे प्रतीक चिन्हों व केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (बीएसएफ) को दिये जाने वाले परिचय पत्र पर होम मिनिस्ट्री गवर्नमैन्ट आफ इण्डिया अंकित कर आमजनमानस को धोखाधडी की नियत व अनैतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर प्रसारित किया गया था जिसका संज्ञान लेते हुये थाना इन्दिरापुरम पर दिनांक 08.02.2025 को धारा 318(2),319(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित की गई।

जांच के दौरान पाया गया कि उक्त वीडियो को प्रसारित करने वाले सगंठन के संस्थापक यादराम आर्य है। जिसके द्वारा केन्द्रिय अर्धसैनिक बल (बीएसएफ) नाम का इस्तेमाल करके अपना स्वंय का एक संगठन एंटी क्राइम ओर्गेनाइजेशन वसुन्धरा संरक्षण फांउडेशन बीएसएफ संगठन बनाकर लोगो को इसमे आर्थिक लाभ लेने की नियत से लोगो को साथ में जोडकर उन्हे पुलिस के पहचान पत्र व वर्दी देकर धोखाधडी कर आर्थिक लाभ लेने हेतु किया जा रहा था जिसके उपरान्त अभियुक्त यादराम आर्य पुत्र दिवारी लाल निवासी शुक्र बाजार सी 49 प्रवेश नगर मुबारक पुर डबास थाना प्रेमनगर दिल्ली उम्र करीब 55 वर्ष को दिनांक 09.02.25 को वसुन्धरा सेक्टर 2 सी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एन्टी क्राईम आर्गेनाईजेशन के कार्ड भिन्न भिन्न व्यक्तियो के नाम से बनवाये हुये, पहचान पत्र जिस पर पुलिस की वर्दी व होम मिनिस्टरी गवर्मेन्ट आफ इण्डिया अंकित है। व 01 लैटर हैड एन्टी क्राईम आर्गेनाईजेशन (BSF) आल

इन्डिया जिस पर फरहाना वारसी (रेड ऑफिसर ऑल इण्डिया अंकित है।) व संगठन से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त यादराम आर्य पुत्र दिवारी लाल से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त लेडीज टेलर का कार्य करता था, काफी समय से अभियुक्त द्वारा आर्थिक लाभ लेते हुये उक्त संगठन बनाया गया था तथा लोगो को जोडा जा रहा था व पहचान पत्र व वर्दी देकर उनसे 1100/- रु रजिस्ट्रेशन के नाम से लेता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

यादराम आर्य पुत्र दिवारी लाल निवासी शुक्र बाजार सी 49 प्रवेश नगर मुबारकपुर डबास थाना प्रेमनगर दिल्ली उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कब्जे से एन्टी क्राईम आर्गेनाईजेशन के कार्ड भिन्न भिन्न व्यक्तियो के नाम से बनवाये हुये, पहचान पत्र जिस पर पुलिस की वर्दी व होम मिनिस्टरी गवर्मेन्ट आफ इण्डिया अंकित है। व 01 लैटर हैड एन्टी क्राईम आर्गेनाईजेशन (BSF)ऑल इन्डिया जिस पर फरहाना वारसी (रेड ऑफिसर आल इण्डिया अंकित है।) व संगठन से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी 01 मोबाइल फोन (एप्पल कम्पनी का) बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 04.02.2025 को वादी श्री शुभम वर्मा पुत्र जल सिंह वर्मा निवासी 51/C अनारकली गार्डन जगतपुरी दिल्ली के द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 03.02.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाईन शॉप चन्दर नगर से मेरा मोबाइल फोन (एप्पल कम्पनी) चोरी हो गया है। तत्काल थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर को आज दिनांक 09.02.2025 को मोबाइल फोन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त मोहित पुत्र करमाचा सोनी निवासी ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक म0नं0- 365 थाना यमुना बिहार दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को रामपुरी रेलवे लाइन के पास थाना लिंकरोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन (एप्पल कम्पनी) का बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त मोहित पुत्र करमाचा सोनी के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस मे धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ौतरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मोहित पुत्र करमाचा सोनी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 03.02.2025 को करीब 07 दिन पहले देविका टॉवर के पीछे वाईन शॉप चन्दर नगर से चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक में रामपुरी रेलवे लाइन के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पताः-

- मोहित पुत्र करमाचा सोनी निवासी ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक म0नं0- 365 थाना यमुना बिहार दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कब्जे से चोरी 01मोबाइल फोन (एप्पल कम्पनी का) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मोहित पुत्र करमाचा सोनी के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

उ0प्र0 पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा – 2023 के अन्तर्गत अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिस लाइन्स में दिनांक 26.12.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 28.01.2025 को समाप्त हुई थी। उक्त अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान संवीक्षा दल(बोर्ड) द्वारा 05 अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वतन्त्रा संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होने पर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी कार्यालयों से इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी तो उनके द्वारा जांच करके यह बताया गया कि उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं। इस प्रकार निम्नलिखित 05 अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती में लाभ लेने के उद्देश्य से फर्जी ढंग से स्वतन्त्रा संग्राम सेनानी आश्रित के प्रमाण पत्र बनवायें गये हैं। इन सभी के विरुद्ध निरीक्षक वेदराम के तहरीर पर थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 0141/2025 धारा 318(4), 336(2), 336(3), 337, 340(2) बीएनएस 2023 में अभियोग दर्ज किया गया है। जिनके नाम निम्नलिखित हैं-

1. अर्जुन सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सलेमपुर थाना सलेमपुर तहसील शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर
2. प्रशान्त कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सलेमपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर
3. कु0 रूबी पुत्री सुरेन्द्र सिंह निवासी पोस्ट शाहपुर कलां थाना व तहसील खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर
4. योगेन्द्र कुमार पुत्र मुनेश निवासी ग्राम व पोस्ट कपना तहसील खुर्जा जनपद बुलन्दशहर
5. अरुण कुमार चौहान पुत्र रामकुमार निवासी 782/8 जागृति विहार जनपद मेरठ

गिरफ्तार अभ्यार्थीगण-

1. प्रशान्त कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सलेमपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर

2. योगेन्द्र कुमार पुत्र मुनेश निवासी ग्राम व पोस्ट कपना तहसील खुर्जा जनपद बुलन्दशहर

3. अरुण कुमार चौहान पुत्र रामकुमार निवासी 782/8 जागृति विहार जनपद मेरठ

अन्य शेष 02 अभ्यार्थियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।